एक नजर में

इंपीरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का संभाग के लिये चयन

खिरकिया। इंपीरियल पब्लिक स्कूल के छात्र - छात्राओं के अंडर 17 और अंडर - 19 में जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर संभाग में चयनित हुए जिसमें अंडर 17 क्रिकेट में माही इरलावत, आंचल दरबार एवं पूर्वी सोनेर अंडर 19 फुटबाल में केशव तोमर एवं चिराग कपूर अंडर 19 हॉकी में पृथ्वी राजपूत, सक्षम फूलमाली, नैतिक बघेल और राज मीना का खेल शिक्षक अर्जुन सिंह और नेहा राजपूत के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खिरकियां राजपूत शिक्षण एवं सामाजिक विकास समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दरबार, मूरत सिंह, प्रमोद सिंह जरखड़िया, डॉ अखिलेश सिंह राजपूत राजपूत परिषद खिरकिय के अध्यक्ष शंकर सिंह पटेल एवं राम सिंह खड़वाडीया, विजयसिंह खड़वाड़िया, बद्रीप्रसाद पटेल, और स्कूल के प्राचार्य नितिन जाधव द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की.

किसानों को कैद कर मिले खाद के टोकन

खाद के टोकन नहीं मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा फूटा, एसडीएम कार्यालय पहुंचे, किसानों की उंगली पर लगाई वोट की स्याही

> अगर अभी किसानों को खाद नहीं मिली तो उनके उत्पादन में कमी आएगी। शासन की मंशा है कि किसानों की आय बढ़े परन्तु खाद, बीज और दवा किसानों को समय से नहीं मिलेगी तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। बस यही यक्ष प्रश्न है जिसका हल निकालना है

नवभारत न्यूज

सिवनी मालवा 13 अगस्त 2025, सिवनी मालवा में खाद नहीं मिलने से प्रतिदिन किसान परेशान हो रहे है। सैंकड़ों किसान तहसील प्रांगण में खाद के टोकन नहीं मिलने से परेशान होकर एसडीएम से मिलने पहुंचे।

सैंकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। टीआई सहित पुलिस बल भी पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास किया परन्तु किसान नहीं माने और खाद की मांग करते रहे। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों की अधिकारियों से बहस होती रही। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में किसानों की मध्यमा उंगली पर निशान लगाकर टोकन दिए गये। खाद के लिए किसानों का विरोध यह कोई पहली बार नहीं था इसके पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया परन्तु प्रशासन की लापरवाही के कारण आएदिन किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का आरोप था कि वह पिछले कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सैंकड़ों किसान सुबह से खाद के टोकन की लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। एसडीएम ने सभी किसानों की लिस्ट बनाने और उसके बाद टोकन वितरण करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने किसानों को टोकन देने के लिए लाईन लगवाने का कहा और इस कार्य में कर्मचारियों को लगाया। कर्मचारियों ने किसानों के नाम लिखकर उनके हाथ की उंगली पर काली सियाही का निशान लगाया और तहसील परीसर से वाहर किया। किसानों ने बताया कि सभी किसानों ने धान और मक्का लगाया हुआ है। धान की फसल में यूरिया की सख्त जरूरत है। अगर अभी किसानों को खाद नहीं मिली तो उनके उत्पादन में कमी आएगी साथ ही किसानों का फसल में अधिक पैसा लगेगा. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि किसानों की आय बढ़े परन्तु खाद, बीज और दवा किसानों को समय से नहीं मिलेगी तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी।

पेट्रोल पंप पर लूट के आरोपी पकड़ाए

नवभारत न्यूज

इटारसी। रामपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये दोनों नाबालिग हैं, इनमें एक पूर्व में भी बाल सुधार गृह में रह चुका है। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकि साधनों का सहारा लिया। फरियादी घनश्याम उर्फ मनीष कुशवाह के बताए अनुसार दो आरोपियों की तलाश की गई। आज एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा ने रामपुर थानेदार विपिन पाल की मौजूदगी में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तलाश के दौरान दो संदिग्ध मोटर सायकिल से नर्मदापुरम की ओर जाते दिखाई दिये जिन्हें टीम ने फॉलो किया। नर्मदापुरम के मुखबिर सक्रिय किये जिन्होंने दो नाबालिग के घटना में शामिल होने की संभावना जतायी। इनमें से एक पूर्व में भी बाल सुधार गृह में निरुद्ध रह चुका है। दोनों की तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पंप के ही एक कर्मचारी ने घटना के लिए आमंत्रित किया था। दोनों आरोपियों से लूट की राशि, मोटर सायकिल व अन्य वस्तुएं जब्त कीं। दोनों के बताए पंप के कर्मचारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पीड़ित घनश्याम उर्फ मनीष कुशवाह के कहने पर ही उक्त घटना की थी। यह भी बताया कि मनीष ने पंप के हिसाब में गड़बड़ होने और पैसों के लालच में आकर स्वयं के साथ यह घटना करने को कहा था। विवेचना के दौरान अपराध में शामिल आरोपी घनश्याम उर्फ मनीष कुशवाह पिता नानकराम 29 वर्ष, निवासी केसला, थाना रामपुर गुर्रा सहित 3 नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया. उप निरीक्षक विपिन पाल थाना रामपुर गुर्रा, उनि संजीव पवार, उनि विवेक यादव, सउनि अनिल शर्मा, सउनि हर्षित मौर्य, प्रधान आरक्षक उमेश रघुवंशी, आरक्षक महेश साह, बृजलाल, विजय, गोपाल, 894 टीटू, गुलशन सोनी, सायबर टीम से संदीप यदुवंशी शामिल थे.

हर घर तिरंगा अभियान में सिटी थाना से निकली तिरंगा रैली

नवभारत न्यूज

इटारसी। 13 अगस्त 'हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता' अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज की आन-बान-शान में आज शाम को सिटी थाना इटारसी से तिरंगा रैली निकाली। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने तिरंगा लहराकर रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी प्रतीक राव भी मौजूद रहे। तिरंगा रैली शुभारंभ अवसर पर एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा, टीआई गौरव बुंदेला, जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे, पथरोटा थाना प्रभारी संजीव पवार, रामपुर थाना प्रभारी विपिन पाल, आरपीएफ थाना प्रभारी, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष राहुल चौरे, पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक मेहतो, सभापति राकेश जाधव, मनजीत कलोसिया, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, डॉ.पीएम पहारिया शामिल हुए।

विराट काव्य महोत्सव

नर्मदपुरम। समाजसेवा, कला, साहित्य, संस्कृति को सर्मपित संस्था नर्मदा आव्हान सेवा समिति व्दारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विराट काव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के किशोर करैया केप्टिन बताया की माँ राजेश्वरी मैरिज गार्डन एस.पी.एम.रोड नर्मदपुरम मे 15 अगस्त को दोपहर 1बजे से भव्य काव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सूत्रधार रामेश्वर यादव ने बताया की कवि सम्मेलन मे वरिष्ठ समाजसेवीश्रीनारायण खंडेलवाल, नरेन्द्र पटैल पार्षद, श्रीमती रेखा यादव पार्षद, श्रीमती वंदना चुटीले की उपस्थिति मे किया जायेगा।

आदिवासी संगठन समाज ने निकाली विशाल रैली

नवभारत न्यूज

इटारसी, 13 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज समस्त आदिवासी समाज संगठन ने रैली निकाली। आदिवासियों की यह रैली रानी दुर्गावती चौराह पुरानी इटारसी से प्रारंभ हुई। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में समाज के युवक-युवती नृत्य करते हुए रैली में चल रहे थे। आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, पहचान और आदिवासी गौरव के इस उत्सव का खासा उत्साह था। रैली में इटारसी सहित केसला ब्लॉक और आसपास के ग्रामीण अंचलों से हजारों आदिवासी शामिल होने आए थे। रैली का नगर के अनेक प्रमुख चौक-चौराहों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। इस अवसर पर डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, आकाश कुशराम, युवा पार्षद राहुल प्रधान, जिला पंचायत सदस्य संदीप धुर्वे, राजा धुर्वे, सजंय युवने, रजत मर्सकोले, पवन मर्सकोले, सचिन प्रधान, विजय कावरे, विक्रम परते, अशोक कुशराम, अरुण प्रधान, फागराम सेलुकर, तारा बरखडे, धनसिंह भल्लवी, राजू भल्लवी आदि सामाजिक गण बड़ी संख्या में मातृशक्ति युवा साथी उपस्थित रहे।

पुलिस ने रैली निकाली

पिपरिया थाना स्टेशन रोड पिपरिया व मंगलवारा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से हरघर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रैली निकाली। एसडीओपी मोहित कुमार यादव, टीआई गिरीश त्रिपाठी, स्टेशन रोड टीआई आदित्य सेन की उपस्थिति में हरघर तिरंगा अभियान के अंतर्गत यातायात नियमो को ध्यान में रखते हुए वाहन रैली निकाली।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी जिला-नर्मदापुरम

कमांक/ अविअ / रीडर- 1/2025. इटारसी दिनांक राजस्व प्रकरण क्रं -0025/अपील / 2025-26

//विज्ञप्ति//

इस न्यायालय में प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक-0025/अपील/2025-26 में अपीलार्थी कमल केवट वल्द श्री दुलारे प्रसाद केवट निवासी वार्ड नंबर 14 आर्यनगर इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिए गए पते पर उत्तरवादी गोपाल वल्द श्री मन्नू निवासी सोनासांवरी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम के पते पर सूचना पत्र जारी किया जाकर न्यायालय में आहूत किया गया। उत्तरवादी गोपाल वल्द मन्नू निवासी सोनासांवरी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (म0प्र0) नही मिल पाने के कारण सूचना पत्र संबंधित उत्तरवादी को तामील नही हो पा रहे है। अतः अपीलार्थी पक्ष के उपरोक्त दर्शित आवेदन पत्र पर दर्शित उत्तरवादी एवं अन्य किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 22/08/2025 को स्वयं अथवा अपने वैध अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त होने वाली सभी आपत्ति अमान्य की जावेगी।पेपर विज्ञप्ति आज दिनांक 06/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(टी. प्रतीक राव I.A.S.)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी

हर घर तिरंगा - घर घर तिरंगा

हरदा भारत की आज़ादी की 79 वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय पर्व गौरव दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हरदा द्वारा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष नितेश बादर, यात्रा प्रभारी सुभाष शर्मा, संदीप पटेल सहित पदाधिकारी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया यह यात्रा शाम 4 बजे नेहरू स्टेडियम से प्रारम्भ होकर काली माता मंदिर, डूडी निवास, प्रताप टाकीज, टांक चौराहा, जेसानी चौक, करताना वाला गली, घण्टाघर, चांडक चौक होते हुए जय स्तंभ कचहरी के सामने समाप्त हुई।

शा. हाईस्कूल पोखरनी उबारी में होगा विकास : दोगने

> जनपद अध्यक्ष ने कहा कि जनपद पंचायत की निधि से अभी 5 लाख की स्वीकृति जारी की है अन्य निधि से विद्यालय की सम्पूर्ण बाउंड्री वाल पूर्ण की जावेगी।

नवभारत न्यूज

खिरकिया, 13 अगस्त शासकीय हाई स्कूल पोखरनी उबारी में बाउंड्री वाल के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉ रामकिशोर दोगने ने अपने उदबोधन में कहा कि शासकीय हाई स्कूल पोखरनी की बाउंड्री बाल जनपद पंचायत, ग्रामपंचायत एंव विधायक निधि से पूर्ण की जावेगी।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रानू दसरथ पटेल ने अपने उदबोधन में कहा कि जनपद पंचायत की निधि से अभी 5 लाख की स्वीकृति जारी की है अन्य निधि से विद्यालय की सम्पूर्ण बाउंड्री बाल पूर्ण की जावेगी।इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मोहनलाल सोलंकी, सरपंच महिपाल पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती क्षमा परसराम मंडराई, उपसरपंच बालकिशन बैरागी, जनपद पंचायत विधायक प्रतिनिधि दसरथ सिंह पटेल, वन विभाग विधायक प्रतिनिधि परसराम मंडराई, भाजपा मंडल महामंत्री लखन मंडराई, अनिल सुरमा, कमलेश राजपूत, रामनारायण भैसारे, कमलेश चौहान, पटवारी उमेश सिंह चौहान, सहित संस्था प्राचार्य प्रदीप रिछारिया, शिक्षकगण श्याम भैसारे, चंदन सिंह सोनेर, सुभाष उमरिया, सूरज राय, डाली मालवीय एंव ग्रामवासी उपस्थित थे।

प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिये

हरदा - कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नर्मदापुरम् से आई चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बुधवार को जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सैम्पल लिये गये। साथ ही खराब तेल को नष्ट कराने की कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कांबले ने बताया कि चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने खिरकिया में वंदना रेस्टोरेंट से मोतीचूर लड्डू, पेड़े, मगज लड्डू व मिल्क केक, माँ जगदम्बा भोजनालय से हल्दी, मिर्च पाउडर व गरम मसाला, व्ही.आर. शॉप किराना से अरहर दाल, मूंग दाल, गुड़, मिर्च पाउडर व हल्दी पाउडर, विजयासन चाट से समोसा कचौड़ी, कृष्णा स्वीट से पोहा व पेड़ा, छीपाबड़ के घनघोर रेस्टोरेंट से जलेबी, मावा व बर्फी तथा राजस्थान मिष्ठान से मलाई बर्फी व काजू कतली के सैम्पल लिये।

तिरंगा यात्रा में 850 बच्चों ने लिया भाग

नवभारत न्यूज

खिरकिया, 13 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरदा संचनालय के आदेश अनुसार खिरकिया में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ विकास खंड समन्वयक संदीप जाट ने बताया यात्रा में क़रीब 850 बच्चों ने भाग लिया एवं मुख्य अतिथि के रूप में थाना छिपाबाड़ प्रभारी राजकुमार धारिया, विद्यालय के प्राचार्य मिश्रीलाल मालवीय, शिक्षक भगवानदास मीणा, अंकित अवस्थी सहित ए एस आई रंजित पातुलकर, प्रधान आरक्षक एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा.

गांव में नासूर की तरह बढ़ रहा है अवैध अतिक्रमण

नवभारत न्यूज

हण्डिया 13 अगस्त तहसील मुख्यालय पर बरसों से क्षेत्र के नागरिक एक स्थायी बस स्टैंड कि मांग शासन/प्रशासन से करते आ रहे हैं !लेकिन इस समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। अस्थायी बस स्टैंड पर बढती अव्यवस्था के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। बताया जाता हैं कि हरदा-देवास जिले की सीमा को जोड़ने बाले नर्मदा पुल- पर से सैकड़ो की संख्या में यात्री बसें, वाहन इन्दौर, मार्गो के लिए गुजरते हैं! जिससे बीच मार्ग पर खड़े दो पहिया वाहनों से यात्रियों को परेशानी होती हैं, तथा हादसों का अन्देशा भी बना रहता है. हंडिया बस स्टैंड पर नगर के अन्दर जाने बाले मार्ग पर बेतरतीब वाहनों को वाहन चालक बीच मार्ग पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं ।जिससे जाम कि स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में जिम्मेदारों को अनेकों मर्तबा अवगत भी कराया गया मगर आजतक किसी ने भी ध्यान नही दिया है! धार्मिक स्थलों पर कि यदि बात की जाए तो यहाँ नर्मदा स्नान के लिए दूर दूर से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गण आतें है मगर उन्हें तमाम परेशानयो का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि को इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए.

महाविद्यालय में दिलाई नशामुक्ति शपथ

माखननगर, श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखननगर में दिनाँक 11 अगस्त से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ नीता चौबे के मार्गदर्शन व स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के सयुंक्त सहयोग से किया जा रहा है। भारत के 78 स्वतंत्रता दिवस में समस्त शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता उत्सव मनाया जा रहा है।

सात यात्री वाहनों, 2 मेजिक पर चालानी कार्यवाही

हरदा. कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर हरदा जिले के विभिन्न मार्गो पर विशेष चेकिंग अभियान आयोजित कर वाहनो को चेक किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी राकेश अहाके ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान बकाया कर, बिना पंजीयन, अस्पष्ट रूप से पंजीयन क्रमांक अंकित होने, बिना बीमा, बिना पीयूसी, बिना फिटनेस और बिना परमिट के संचालित यात्री बस, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा एवं लोडिंग वाहन, डम्पर वाहनो की चेंकिग की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को 7 यात्री बस तथा 2 मेजिक पर चालानी कार्यवाही की गई तथा एक मेजिक को जप्त कर छीपाबड़ थाना में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है।

दस किलो वॉट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया

नवभारत न्यूज

इटारसी, 13 अगस्त सिल्वर मिस्ट रीटेल प्राइवेट लिमिटेड रेत कंपनी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी मे 10 किलो वाट का सोलर प्लांट और शहर की सेवाभावी संस्था गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल इटारसी मे स्कूल के बच्चों के लिए 10 कंप्युटर कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से भेट करे। सोलर प्लांट लगाने का मुख्य उद्देश इमरजेनसी मे अस्पताल के जो क्रिटिकल वार्ड है उसमे लाइट चले जाने के बाद भी वहा बिजली की समस्या नहीं रहे । यह सोलर प्लांट की विशेषता यह है कि इसमे बैटरीयुक्त सोलर के द्वारा बिजली को स्टॉरिज करने की क्षमता है। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल इटारसी मे रखा गया । इस पहल को साकार करने मे मुख्य भूमिका माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी विधायक नर्मदापुरम एवं एसडीएम इटारसीटी.प्रतीक राव का योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने अपने उददबोधन मे कहा कि सोलर प्लांट लगने से अस्पताल मे बिजली का बैकअप हमेशा बना रहेगा यहा आने वाले मरीजों को असुविधा नहीं होगी। इस अवसर पर नपा अध्यक्ष श्री पंकज चौरे सिल्व मिस्ट रीटेल प्राइवेअ कंपनी के साकिब अहमद आदि उपस्थित थे.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी जिला-नर्मदापुरम

क्रं-4225/अविअ/रीडर-1/2025. इटारसी दिनांक 11/8/25
राजस्व प्रकरण क्रं -0025/अ-6 (अ)/2025-26

//विज्ञप्ति//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रेवाशंकर गंगारे वल्द लक्ष्मण गंगारे निवासी RBII 383 D न्यूयार्ड, इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम के द्वारा आवेदन पत्र अनुसार विधिवत जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन धारा 115 के अंतर्गत पाँच वर्ष से अधिक अवधि की त्रुटि होने से अभिलेख दुरूस्ती किए जाने की अनुमति हेतु अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम को प्रेषित किया गया था। सशर्त अनुमति प्राप्त करने उपरांत मौजा ग्राम मेहरागाँव स्थित भूमि खसरा नंबर 557/1, 558/2, 559/1, 559/2, 559/4, में से रकबा 1380 वर्गफुट में त्रुटिवश दर्ज रेवाप्रसाद आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण गंगारे के स्थान पर आवेदक का सही और वास्तविक नाम रेवाशंकर गंगारे वल्द लक्ष्मण गंगारे दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त कराना चाहते है। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार की अनुमति शर्तो के अधीन विधिमान्य की गई है। जिसमें बिन्दु क्रमांक "स" क्षेत्र में पढे जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में संशोधन परिवर्तन घोषणा का इश्तहार प्रकाशन कराए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 115 के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटियों का सुधार कराना चाहता है। उपरोक्त के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 22/8/25 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। समयावधि पश्चात प्राप्त सभी आपत्ति अमान्य की जावेगी। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 11/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(टी. प्रतीक राव I.A.S.)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी

MP0506-001418-2019 परिशिष्ट E निष्पादन, संख्यांक 29 MP0506-0014182019_7_1

सिविल कोर्ट इटारसी, जिला होशंगाबाद

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इटारसी होशंगाबाद

ईएक्स ए/5/2019

विक्रय की उद्घोषणा (आदेश 21 का नियम 66)

मुरारीलाल यादव **बनाम** पूरन सिंह मीना, पूरनसिंह मीना पिता श्री अनूपसिंह मीना निवासी ग्रा. सोनतलाई तह. इटा. जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

NEXT DATE : 14-08-2025

RCSA-17/2017 के द्वारा विनिश्चित संख्यांक वाला वाद जिसमें मुरारीलाल यादव वादी था और पूरनसिंह मीना प्रतिवादी था.

यह सूचना दी जाती है कि इस न्यायालय ने उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कुर्क सम्पत्ति का, पार्श्व में वर्णित वाद में डिक्रीदार के दावे की, जो खर्चों और विक्रय की तारीख तक के ब्याज सहित रुपए की राशि का है, तुष्टि में विक्रय करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और आदेश 21 के नियम 64 के अधीन आदेश दिया गया है। विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और सम्पत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटोंमें विक्रय के लिए रखी जाएगी। विक्रय उक्त निर्णीतऋणियों की उस सम्पत्ति का होगा जो निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित है, और उक्त सम्पत्ति से संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक कि उनका अभिनिश्चय किया जा सका है, वे हैं जो हर एक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह विक्रय ता.**17/09/2025** को बजे से प्रारम्भ होने वाले मासिक विक्रय में द्वारा किया जाएगा। किन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण और विक्रय के खर्चे किसी लाट के लिए बोली अन्तिम होने के पूर्व निविदत्त या संदत्त कर दिए जाते हैं तो विक्रय बन्द कर दिया जाएगा। विक्रय में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। किन्तु उपरिवर्णित निर्णीत लेनदारों द्वारा या उनके निमित्त लगाई गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उनको किया गया विक्रय विधिमान्य न होगा। विक्रय की अतिरिक्त शर्ते निम्नलिखित हैं-

विक्रय की शर्ते

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां न्यायालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जितनी से बोलियां बढ़ाई जानी हैं विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी। यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो वह लाट पुनः नीलाम पर चढ़ाया जाएगा।
3. किसी भी लाट की सबसे ऊँची बोली लगाने वाला व्यक्ति उस लाट का क्रेता घोषित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वह बोली लगाने के लिए वैध रूप से अर्हित हो, यह बात न्यायालय के या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे ऊंची बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इन्कार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टतः इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इन्कार करना वांछनीय हो जाता है।
4. विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह विक्रय का आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थगित कर दें।
5. जंगम सम्पत्ति की दशा में हर एक लाट की कीमत विक्रय के समय या उसके इतने शीघ्र पश्चात्, जितना विक्रय करने वाला अधिकारी निर्दिष्ट करे, दी जाएगी और संदाय में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः नीलाम पर चढ़ाई जाएगी और उसका पुनः विक्रय किया जाएगा।
6. स्थावर सम्पत्ति की दशा में वह व्यक्ति, जो क्रेता घोषित किया गया है उस घोषणा के पश्चात् अविलम्ब अपने क्रयधन की रकम का पच्चीस प्रतिशत विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी के पास निक्षिप्त कर देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः नीलाम पर चढ़ाई जाएगी और उसका पुनः विक्रय किया जाएगा।
7. क्रेता द्वारा क्रयधन की पूरी रकम सम्पत्ति के क्रय दिन को छोडकर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन या यदि पन्द्रहवां दिन इतवार हो तो अन्य अवकाश दिन हो तो पन्द्रहवें दिन के पश्चात् कार्यालय खुलने के पहले दिन न्यायालय के बन्द होने के पूर्व संदत्त की दी जाएगी।
8. क्रयधन की बाकी रकम का संदाय अनुज्ञात अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति का पुन विक्रय, विक्रय की नई अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा। यदि न्यायालय ठीक समझे तो निक्षेप उसमें से विक्रय के व्ययों को काट लेने के पश्चात् सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाएगा और व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए वह सम्पत्ति बाद में बेची जाए उस राशि के किसी भी भाग पर सब दावे समपहृत हो जाएंगे।

यह आज ता. 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

न्यायालय की मुदा

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 11

श्रीमती आयुषी गुप्ता
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
इटारसी, जिला नर्मदापुरम म.प्र.

अधिक जानकारी वेबसाइट- ecourts.gov.in अथवा मोबाइल एप. ecourts services (Android or ios) से प्राप्त की जा सकती है The proucess is systen generated and transmitted in secured manner is secured manner by authoouised user as such

संपति की अनुसूची

लाट की संख्यांक	उस सम्पत्ति का वर्णन जिसका विक्रय किया जाना है और जहां एक से अधिक निर्णीतऋणी हैं वहां उसके साथ हर एक स्वामी का नाम	यदि वह सम्पत्ति जिसका विक्रय किया जाना है, सरकार को राजस्व देने वाली संपदा या सम्पदा के भाग में हिंत है तो संपदा या संपदा के भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति जिन विल्वंगमों के दायित्व के अधीन है उनका ब्यौरा	संपत्ति के बारे में किए गए दावे (यदि कोई है) और उनकी प्रकृति और मूल्य पर प्रभाव डालने वाली कोई अन्य ज्ञात विशिष्टियां	डिक्रीदार द्वारा यथा कथित संपत्ति का मूल्य	निर्णीतऋणी द्वारा यथाकथित संपत्ति का मूल्य
1.	मौजा ग्रा. सोनतलाई तह. इटा. जि. नर्मदापुरम् (म.प्र.) की कुर्क भूमि ख. न. 71/3 (S) रकबा 1.0530 हे. में से 1/3 अंश की भूमि	1.25 रू.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	8,07,300/-	

न्यायालय की मुदा

MP0506-001418-2019

श्रीमती आयुषी गुप्ता
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
इटारसी, जिला नर्मदापुरम म.प्र.